



सराहनीय कार्य

इटावा पुलिस



#CRACKDOWN

प्रेस नोट-दिनांक 26.08.2026

- छिनैती की घटना का सफल अनावरण करते हुए इटावा पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को पुलिस मुठभेड़ में किया गया गिरफ्तार।
- कब्जे से लूटा गया मोबाइल (एण्ड्राइड) फोन, 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जिंदा व 01 खोखा कारतूस 315 बोर तथा घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद।

अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर के निर्देशन एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री बृजेश कुमार श्रीवास्तव के पर्यवेक्षण एवं अपर पुलिस अधीक्षक नगर श्री अभयनाथ त्रिपाठी के मार्गदर्शन एवं क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में एसओजी/सर्विलांस टीम एवं थाना सिविल लाइंस पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से की गयी कार्यवाही।

घटना का संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 19.08.2026 को वादी चन्द्रवीर सिंह पुत्र श्री सतीश चन्द्र निवासी गाँधी नगर थाना फ्रेण्डस कालोनी जनपद इटावा द्वारा थाना सिविल लाइन पर तहरीर दी गयी कि दिनांक 18.08.2026 को उनकी पुत्री समय करीब शाम 07:00 बजे बलराम सिंह चौराहे से कोचिंग पढ़कर पैदल अपने घर जा रही थी। जैसे ही वह जी0आई0सी0 स्कूल ग्राउण्ड के गेट के पास पहुँची, तभी पीछे से मोटरसाइकिल पर सवार अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उनकी पुत्री का मोबाइल फोन छीनकर भाग गये। तहरीर के आधार पर थाना सिविल लाइन पर मु0अ0सं0 146/2026 धारा 304(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरण:-

जनपद में अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम एवं लूट/छिनैती की घटना के सफल अनावरण एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री बृजेश कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन में दिनांक 26.08.2026 को एसओजी/सर्विलांस एवं थाना सिविल लाइन पुलिस टीम थाना क्षेत्रान्तर्गत भ्रमणशील थी। इसी दौरान आपराधिक अभिसूचना प्राप्त हुयी कि जी0आई0सी स्कूल के पास से युवती का फोन छीनने वाला अभियुक्त मोटर साइकिल से लाइन सफारी की ओर आ रहा है। सूचना पर तत्काल पुलिस टीमों द्वारा ठंडी पुलिस लाइन सफारी के पास घेराबंदी की गयी। तभी 01 मोटर साइकिल आती दिखाई दी जिसे पुलिस टीम द्वारा रोकने का इशारा किया तो मोटर साइकिल सवार द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग की गयी। जिस पर आत्मरक्षार्थ जबाबी फायरिंग की गयी तो अभियुक्त शुभी के दाहिने पैर में गोली लगी। जिसे घायल अवस्था में गिरफ्तार कर उपचार हेतु अस्पताल भिजवाया गया।

पुलिस पूछताछ:-

गिरफ्तार अभियुक्त से पुलिस टीम द्वारा नाम पता पूछते हुये तलाशी ली गयी तो उसके कब्जे से 01 अवैध तमंचे 315 बोर, 01 खोखा व 01 जिंदा कारतूस 315 बोर, 01 लूटा हुआ मोबाइल बरामद हुआ। पुलिस टीम द्वारा कड़ाई से पूछताछ करने पर उसके द्वारा बताया गया कि मैं और मेरे साथी द्वारा जीआईसी गेट के पास से एक लड़की का मोबाइल छीन कर भाग गये थे।

उक्त गिरफ्तारी/बरामदगी के संबंध में थाना सिविल लाइन पर मु0अ0सं0 152/2026 धारा 109(1)पु0मु0 बीएनएस तथा धारा 3/25/27 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया।
बरामद मोटर साइकिल को धारा 207 एमवीएक्ट में सीज किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. शुभी राजपूत पुत्र राम प्रकाश राजपूत निवासी ग्राम किल्ली सुल्तानपुर थाना बसरेहर जनपद इटावा उम्र 24 वर्ष ।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 146/2026 धारा 304(2) बीएनएस थाना सिविल लाइन जनपद इटावा ।
2. मु0अ0सं0 152/2026 धारा 109(1)पु0मु0 बीएनएस व धारा 3/25/27 आयुध अधिनियम थाना सिविल लाइन जनपद इटावा ।

आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 230/2022 धारा 379 / 411 भा०द०वि० थाना सैफई जनपद इटावा ।
2. मु0अ0सं0 302/2023 - 379/411/413 भा०द०वि० व 3/4/25 आर्म्स एक्ट थाना इकदिल इटावा ।
3. मु0अ0सं0 70/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना इकदिल इटावा ।
4. मु0अ0सं0 521/2024 धारा 303(2), 317(2), 317(5) बीएनएस थाना किशनी जनपद मैनपुरी ।
5. मु0अ0सं0 530/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना किशनी मैनपुरी ।
6. मु0अ0सं0 416/2026 धारा 304(2), 317(2), आर्म्स एक्ट थाना शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद ।
7. मु0अ0सं0 419/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद ।
8. मु0अ0सं0 146/2026 धारा 304(2) बीएनएस थाना सिविल लाइन जनपद इटावा ।
9. मु0अ0सं0 152/2026 धारा 109(1)पु0मु0 बीएनएस व धारा 3/25/27 आयुध अधिनियम थाना सिविल लाइन जनपद इटावा ।

बरामदगी:

1. 01 अवैध तमंचा 315 बोर ।
2. 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर ।
3. 01 खोखा कारतूस 315 बोर ।
4. 01 घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल ।
5. 01 मोबाइल फोन
6. 01 मोबाइल फोन एण्ड्राइड । (मु0अ0सं0 146/2026) से संबंधित

पुलिस टीम-

प्रथम टीम:- प्रभारी एसओजी मय टीम एवं प्रभारी सर्विलांस मय टीम ।

द्वितीय टीम:- निरीक्षक श्री कण्व कुमार मिश्रा प्रभारी थाना सिविल लाइन, उ0नि0 हासिक मय टीम ।